

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 15(12) राज/वाद/06पार्ट-II

जयपुर, दिनांक 17-08-2021

समस्त जिला कलेक्टर्स,  
-----, राजस्थान।

**विषय:-** कोविड-19 महामारी में दिनांक 19.04.2021 से दिनांक 30.06.2021 तक लॉकडाउन के दौरान अधिवक्ता संवर्ग के लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण को एपीरियन्स फीस के भुगतान के मार्गदर्शन बाबत।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में दिनांक 19.04.2021 से दिनांक 30.06.2021 तक लॉकडाउन की अवधि में अधिकांश न्यायालय बन्द रहे हैं। यदि उक्त अवधि में लॉकडाउन के दौरान लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/ अपर लोक अभियोजक द्वारा माननीय न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से अपनी उपस्थिति व्यक्तिगत/वी.सी. अथवा ऑन लाईन के माध्यम से दर्ज कराई है, तो ऐसे लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को प्रतिदिन 500/- रुपये एपीरियन्स फीस का भुगतान नियमानुसार देय है। जिन लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक ने माननीय न्यायालय में लॉकडाउन के दौरान अपनी उपस्थिति नहीं दी है, ऐसे अभियोजकगण को प्रतिदिन एपीरियन्स फीस का भुगतान देय नहीं है, यद्यपि उक्त अवधि में इन्हे प्रतिमाह निश्चित मासिक रिटेनरशिप का भुगतान देय है।

अतः जिन लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण द्वारा लॉकडाउन अवधि का प्रतिदिन 500/- रुपये एपीरियन्स फीस का भुगतान क्लेम किया जाता है, ऐसे अभियोजकगण की माननीय न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु अभियोजक से न्यायालय आदेशिका की प्रमाणित प्रति अथवा माननीय न्यायालय द्वारा जारी उपस्थिति प्रमाण पत्र यदि कोई हो, संबंधित अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित अभियोजक को 500/- रुपये प्रतिदिन एपीरियन्स फीस का भुगतान देय है।

ह0  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय विधिमत्री महोदय।
2. समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण।
3. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

  
17/8/21  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि